

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद कार्यालय: फोन न. 07749-223904 ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./2022 3889
प्रति,

बालोद, दिनांक 03/06/2022

महाप्रबंधक जियो डिजिटल
फाईबर प्राइवेट लिमिटेड
चौथी मंजिल ऑफिस नं. 401-405
अबुजा मॉल रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area-2.895 Ha. (Reg. No. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021)

- संदर्भ:-
1. छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्र./एफ 7-22/2009/10-2 दिनांक 22.06.2018
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध /विविध 3011/एल.एम.-115-766A/128 दिनांक 18.01.2021
 3. मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग वृत्त दुर्ग का पत्र क्र./तक.अधि./4020 दिनांक 30.05.2022
 4. आपका पत्र क्र./जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2022 दिनांक 03.03.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी उपयोग हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र 02 के माध्यम से जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर का पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021 द्वारा आबंटन किया गया है।

संदर्भित पत्र क्र. 04 के माध्यम से ROW प्रक्रिया सरलीकरण के तारतम्य में भारत नेट/स्काई परियोजना के OFC के वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण हेतु (पूर्व से निर्धारित 44 बिन्दुओं के चेकलिस्ट के स्थान पर) 21 बिन्दुओं की नवीन चेकलिस्ट के निर्धारण बाबत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिसे कार्यालयीन पत्र क्र./ 807 दिनांक 28.04.2022 द्वारा अपलोड परिवेश पोर्टल पर किये जाने के फलस्वरूप मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग को प्रस्ताव 04 सेट में प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र क्र 03 के माध्यम से प्रकरण में आपत्ति लगाई गई है जो निम्न है:-

1. भाग-2 घनत्व 6 उल्लेख है, इसे स्पष्ट करें।
2. भाग-2 में वनमंडलाधिकारी के नाम अंकित नहीं है।
3. प्रस्ताव में आरक्षित वन 2.497, संरक्षित वन 0.234, राजस्व वनभूमि 0.164 कुल 2.895 हे० है। जिसका आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में कही उल्लेखित नहीं है।
4. संलग्न मैप में मूल हस्ताक्षर नहीं है।
5. प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेज क्र. 47 से 102 की छायाप्रति संलग्न है। इसमें किसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

अतः आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूलतः वापस कर लेख है, कि उपरोक्तानुसार बिन्दु क्र. 4 से 5 की कमियों को पूर्ति कर नवीन चेकलिस्ट अनुसार प्रस्ताव तैयार कर पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- प्रस्ताव 04 सेट में।

क्रमांक/तक.अधि./2022 3890
प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।।

बालोद, दिनांक 03/06/2022

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद
वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद